राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

क्रमांक : लोक अदालत/~~2017~~ कैम्प/2023/02 दिनांकः– 27.04.2023

–: निर्णय :–

प्रार्थी श्री राधेश्याम चौहान पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ बनवारीसिंह ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हुणतपुरा पटवार मण्डल धौलासर तहसील चूरू जिला चूरू की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 58 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति राधाकिशन पुत्र बनवारीलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से राधेश्याम चौहान पुत्र बनवारीसिंह अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी हल्का धौलासर से करवाने पर पटवारी ने राधाकिशन पुत्र बनवारीलाल के बजाय राधेश्याम चौहान पुत्र बनवारीसिंह करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरू ने भी उक्त खाते में राधाकिशन पुत्र बनवारीलाल के बजाय राधेश्याम चौहान पुत्र बनवारीसिंह करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम हुणतपुरा के खाता संख्या 58 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति राधाकिशन पुत्र बनवारीलाल के स्थान पर सम्मानजनक रूप से राधेश्याम चौहान पुत्र बनवारीसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:03 IST
Reason: SelfAttested